झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, राँची का पत्रांक– 136(1)/जि.ग्रा., दिनांक 28.04.2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड का पत्रांक– 7037 दिनांक 07.06.2012

श्री प्रवीण केरकेट्टा, झा0प्र0से0 (जे.पी.एस.सी. द्वितीय बैच), अंचल अधिकारी –सह–प्रभारी प्रखण्ड विकास मांडर अंचल, राँची के विरूद्ध उपायुक्त, राँची के पत्रांक– 136(1)/जि. ग्रा., दिनांक 28.04.2012 द्वारा प्रपत्र–'क' में आरोप प्रतिवेदित है।

प्रपत्र–'क' में श्री केरकेट्टा के विरूद्ध निम्न आरोप लगाया गया है :–

1. मांडर प्रखण्ड के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में इन्दिरा आवास योजना के तहत कुल– 141 ऐसे लाभुको का चयन किया गया, जिनका नाम प्रखण्ड की स्थायी प्रतीक्षा सूची में दर्ज नहीं थी, अर्थात स्थायी प्रतीक्षा सूची से बाहर के लोगों को लाभान्वित किया गया, दूसरे परिवार का बी.पी.एल. नं0 दर्शा कर लाभान्वित किया गया। यहाँ तक की दूसरी जाति/कोटि का बी.पी.एल. नं0– दर्शा कर इन्दिरा आवास से लाभान्वित किया गया।

2. वित्तीय वर्ष 2010–11 कैम्बो पंचायत के ग्राम– कैम्बो में एक लाभुक श्री छेदी लाल साव, पिता– झूरा साव को इन्दिरा आवास प्रदान किया जाना था, किन्तु नाम में आंशिक समानता होने के कारण एक अन्य व्यक्ति श्री छेदी साव, पिता– मोगल साव को इन्दिरा आवास से लाभान्वित किया गया। इनकी पत्नी के नाम से भी इन्दिरा आवास दिया जा चुका था। छेदी साव को छेदी लाल साव के बी.पी.एल. नं0 एवं प्रतीक्षा सूची के आधार पर इन्दिरा आवास से लाभान्वित किया गया।

उक्त आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक– 7037 दिनांक 07.06.2012 द्वारा श्री केरकेट्टा से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। इसके अनुपालन में श्री केरकेट्टा द्वारा अपने पत्र दिनांक 07.08.2012 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

श्री केरकेट्टा द्वारा अपने स्पष्टीकरण में निम्न तथ्य समर्पित किए गए हैं:–

1. वे अंचल अधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मांडर के द्वय प्रभार में कार्यरत थे।

2. इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत लाभुकों के चयन एवं क्रियान्वयन के समय पंचायत चुनाव 2010 जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्य का निष्पादन किया जा रहा था।

3. ये मांडर प्रखण्ड के 19 पंचायतों के मुखिया तथा 196 वार्ड सदस्यों के निर्वाचन हेतु निर्वाची पदाधिकारी थे।

4. साप्ताहिक बैठकों में इनके द्वारा जनसेवक/पर्यवेक्षक को निदेशित किया गया था कि वे ग्रामवार तथा पंचायतवार सुयोग्य श्रेणी के लाभुकों का चयन सरकार द्वारा निदेशित नियमावली का पालन करते हुए प्रतीक्षा सूची के आधार पर करें।

कृ0पृ0उ0....2,

5. संबंधित कार्यवाह लिपिक को भी स्पष्ट रूप से निदेशित किया गया था कि अनुशंसित लाभुकों का मिलान प्रतीक्षा सूची से कर ही अभिलेख उपस्थापित किया जाय।

6. कुल 886 लाभुकों में से 744 लाभुकों का चयन सही तथा सरकार द्वारा निदेशित नियमों के आधार पर किया गया है। 142 लाभुकों के चयन में जनसेवकों ने गलत मंशा से अयोग्य व्यक्तियों के लिए अनुशंसा किया। कार्यवाह लिपिक द्वारा भी यह कहकर कि उन्होंने सभी चयनित व्यक्तियों का मिलान प्रतीक्षा सूची से कर लिया है, उन्हें धोखे में रखकर उनके समक्ष अभिलेख उपस्थापित किया।

7. प्रखण्ड के अन्य कार्य एवं पंचायत निर्वाचन– 2010 जैसे अतिमहत्वपूर्ण कार्यों की व्यस्तता के कारण इन्दिरा आवास के लाभुकों के चयन प्रक्रिया हेतु क्षेत्रीय कर्मियों पर निर्भर रहना उनकी बाध्यता थी। अगर वे लाभुकों के चयन प्रक्रिया में व्यस्त रहते तो अन्य महत्वपूर्ण कार्य का ससमय निष्पादान संभव नहीं हो पाता।

श्री केरकेट्टा के विरूद्ध प्राप्त आरोप एवं इसके संबंध में इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गई। समीक्षा से स्पष्ट है कि 886 लाभुकों में से 142 लाभुकों का गलत चयन हुआ है, जिसे श्री केरकेट्टा द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है। इन्होंने अपना दोष अन्य कर्मियों पर मढ़ने का प्रयास किया है। 142 लाभुकों का त्रुटिपूर्ण चयन काफी बड़ी संख्या है एवं किसी भी हालत में इतनी बड़ी संख्या में त्रुटिपूर्ण चयन नहीं होता यदि श्री केरकेट्टा कर्त्तव्य के प्रति लापरवाह एवं उदासीन नहीं रहते। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा दूसरे आरोप के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है, जिस कारण इस आरोप का इनके द्वारा स्वीकार्यता समझा जायेगा।

इस प्रकार श्री केरकेट्टा के विरूद्ध लगाये गये उक्त दोनों आरोप प्रमाणित होते है। अतः प्रमाणित आरोपों के लिए श्री केरकेट्टा को निम्न दण्ड दिया जाता है :–

(i) इनकी तीन वेतन वृद्धियाँ असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।

(ii) इन्हें निन्दन की सजा दी जाती है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री प्रवीण केरकेट्टा, झा0प्र0से0, अंचल अधिकारी–सह–प्रभारी प्रखण्ड विकास मांडर अंचल, राँची एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(यतीन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक– 2ए/आरोप–1–116/2012 का०–11028/राँची, दिनांक –27 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 50 (पचास) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
सरकार के उप सचिव ।

कृ0पृ0उ0....3,

ज्ञापांक– 2ए/आरोप–1–116/2012 का॰–11028/राँची, दिनांक –27 सितम्बर, 2012

प्रतिलिपि– राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची/उपायुक्त, राँची/अवर सचिव, वित्त (वै0दा0नि0 कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/श्री प्रवीण केरकेट्टा, झा0प्र0से0, अंचल अधिकारी–सह–प्रभारी प्रखण्ड विकास मांडर अंचल, राँची/विभागीय प्रशाखा–2 एवं 2ए (चारित्री) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/9/12

सरकार के उप सचिव ।